

फैक्स
एवं
ई-मेल

बिहार सरकार
विधि विभाग

ज्ञाप संख्या-जी0/बी0टी0-30-23/2017.....99/जे0, पटना, दिनांक 21-03-18
सेवा में,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सारण, छपरा एवं भागलपुर ।

विषय:- मुख्यशीर्ष-2014-न्याय प्रशासन, लघुशीर्ष-105-सिविल और सेशन न्यायालय,
उपशीर्ष-0001-सिविल और सत्र न्यायालय के अन्तर्गत यात्रा व्यय एवं कार्यालय व्यय
विषयशीर्ष में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से व्यय हेतु निम्नप्रकार
कुल-25,00,000/- (पच्चीस लाख) रुपये का अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

।। आवंटित राशि का ब्यौरा ।।

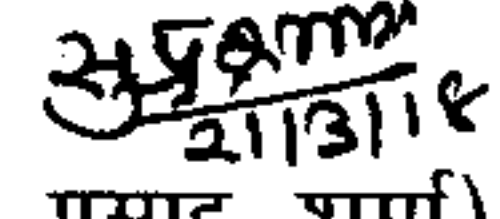
क्र0	न्यायमंडल का नाम	11.01- यात्रा व्यय	13.01- कार्यालय व्यय	योग
1.	सारण, छपरा	-----	16,00,000	16,00,000
2.	भागलपुर	2,00,000	7,00,000	9,00,000
	कुल-	2,00,000	23,00,000	25,00,000

प्रसंग:- पत्र संख्या-134, दिनांक-15.03.18 एवं पत्र संख्या-769, दिनांक-25.01.18

आदेश:- स्वीकृत।

- व्यय का विकलन मुख्यशीर्ष-2014-न्याय प्रशासन-लघुशीर्ष-105-सिविल और सेशन न्यायालय, उप
शीर्ष-0001-सिविल और सत्र न्यायालय के अन्तर्गत यात्रा व्यय एवं कार्यालय व्यय विषयशीर्ष में वित्तीय
वर्ष 2017-18 में होगा।
- राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561वि0(2), दिनांक-17.4.1998 में दिये गये
निर्देश के आलोक में दिया जाता है।
- वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या-428/वि0, दिनांक-31.03.2017 के आलोक में उपबंधित राशि को
नियमानुसार व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
- कृपया मासिक व्यय विवरणी शीघ्र भेजा जाय। लेखा सत्यापन हेतु ससमय विहित प्रपत्र में व्यय
प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।
- इस शीर्ष की माँग संख्या-27 एवं विपत्र कोड-27-2014001050001 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी0/बी0टी0-30-23/2017.....99/जे0, पटना, दिनांक 21-03-18

प्रतिलिपि:- जिला कोषागार पदाधिकारी, सारण, छपरा एवं भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु अग्रसारित।


(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी0/बी0टी0-30-23/2017.....99/जे0, पटना, दिनांक 21-03-18

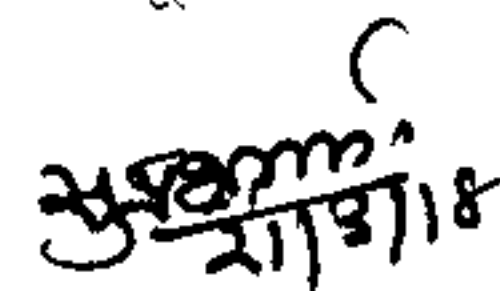
प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, सारण एवं भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
अग्रसारित।


(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी0/बी0टी0-30-23/2017.....99/जे0, पटना, दिनांक 21-03-18

प्रतिलिपि:- विभागीय आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु अग्रसारित।


(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।
21/3/18